राजस्थान–सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर (रसद), डूंगरपुर (राजस्थान)

क्रमांकः–रसद/एफपीएस/2018/6589 दिनांकः– 17.9.2018

–:: विज्ञप्ति ::–

इस कार्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति क्रमांक एफ रसद/2018/4051–69 दिनांक 19.06.2018 द्वारा प्रथम चरण के लिये जिले की रिक्त/अतिरिक्त 40 उचित मूल्य दुकानों के लिये सहकारी समितियों/स्वंय सहायता समूहों/ग्राम पंचायतों से उनके कार्यक्षेत्र की उचित मूल्य दुकान के लिये आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। जिनमें से दुकानो के आवंटन की कार्यवाही पश्चात शेष उचित मूल्य दुकान रिक्त 6 एवं अतिरिक्त 6 कुल 12 दुकानों हेतु लॉटरी समिति द्वारा लॉटरी पद्धति से आरक्षण का निर्धारण किया गया। अतः द्वितीय चरण में 12 उचित मूल्य दुकानों के लिये निजी आवेदकों से आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जाते है :–

तहसील डूंगरपुर

क्र.सं.	सेन्टर का नाम	न.प./ग्राम पंचायत	रिक्त/अतिरिक्त	आरक्षण स्थिति
1.	वार्ड नं. 16 न.प. डूंगरपुर	न.प. डूंगरपुर	रिक्त	अनारक्षित
2.	वार्ड नं. 20 न.प. डूंगरपुर	नं. प. डूंगरपुर	रिक्त	अनारक्षित
3.	फलोज I	फलोज	रिक्त	अनु.ज.जा.

तहसील बिछीवाडा

क्र.सं.	सेन्टर का नाम	न.प./ग्राम पंचायत	रिक्त/अतिरिक्त	आरक्षण स्थिति
1.	मालमाथा	मालमाथा	अतिरिक्त	अनारक्षित
2.	बिछीवाडा	बिछीवाडा	अतिरिक्त	अनु.ज.जा.
3.	पालीसोडा (गेड)	पालीसोडा	अतिरिक्त	अनु.ज.जा.

तहसील साबला

क्र.सं.	सेन्टर का नाम	न.प./ग्राम पंचायत	रिक्त/अतिरिक्त	आरक्षण स्थिति
1.	सोलज II	सोलज	रिक्त	अनारक्षित
2	निठाउवा II	निठाउवा	अतिरिक्त	अनारक्षित

तहसील झौथरी

क्र.सं.	सेन्टर का नाम	न.प./ग्राम पंचायत	रिक्त/अतिरिक्त	आरक्षण स्थिति
1.	कुंडली	रेटा	अतिरिक्त	अनु.ज.जा.

तहसील सागवाडा

क्र.सं.	सेन्टर का नाम	न.प./ग्राम पंचायत	रिक्त/अतिरिक्त	आरक्षण स्थिति
1.	वार्ड नं. 2 सागवाडा	न.पा. सागवाडा	रिक्त	अनु.ज.जा.

तहसील गलियाकोट

क्र.सं.	सेन्टर का नाम	न.प./ग्राम पंचायत	रिक्त/अतिरिक्त	आरक्षण स्थिति
1.	भैसरा छोटा	भैसरा छोटा	अतिरिक्त	अनारक्षित

तहसील आसपुर

क्र.सं.	सेन्टर का नाम	न.प./ग्राम पंचायत	रिक्त/अतिरिक्त	आरक्षण स्थिति
1.	गलियाणा	गलियाणा	रिक्त	अनारक्षित

D:drive/Jag/New FPS Shop

Scanned by CamScanner

योग्यता:-

1. शहरी क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदक उसी वार्ड का निवासी होना चाहिये जिस वार्ड के उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरण करनी है अर्थात उस उचित मूल्य की अधिकारिता क्षेत्र मे स्थित वार्ड्स मे से किसी एक वार्ड का निवासी होना चाहिये।
2. ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान के मामलों में आवेदक उसी पंचायत के किसी भी ग्राम या वार्ड का निवासी होना आवश्यक है, जिस पंचायत में उचित मूल्य दुकान स्थित है। एक से अधिक योग्य आवेदन पत्रों के प्राप्त होने की स्थिति में वरीयता उसी वार्ड के निवासी को दी जायेगी जिसमें उचित मूल्य की दुकान स्थित है।
3. आवेदक द्वारा निम्न बिन्दुओं को अंकित करते हुए एक घोषणा-पत्र दिया जावेगा।
    - आवेदक पूर्व में किसी ई.सी.एक्ट के तहत दण्डित नहीं हुआ है।
    - आवेदक द्वारा दुकान का संचालन स्वयं किया जायेगा।
    - आवेदक के परिवार में किसी सदस्य यथा माता–पिता, पुत्र एवं पुत्री के नाम से पूर्व में कोई दुकान नहीं है।
    - आवेदक को विधिक रूप से अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।
    - आवेदक स्वयं निर्वाचित जन–प्रतिनिधि नहीं है।
    - आवेदक बालिग एवं स्वस्थ चित्त है, चाल–चलन अच्छा है तथा कभी दिवालिया घोषित नहीं हुआ है।
    - आवेदक द्वारा दिनांक 01.01.2015 के बाद दो से अधिक संतान नहीं होने का स्पष्ट कथन किया जायेगा।
4. आवेदक द्वारा दी गई सूचनाये गलत पाये जाने पर आवंटन रद्द करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा।

आवेदन का तरीका :-

1. आवेदन पत्र दिनांक 17.09.2018 से कार्यालय समय में जिला रसद कार्यालय डूंगरपुर से 100/– रूपये का भारतीय पोस्टल आर्डर जमा कर प्राप्त किये जा सकते है। अन्य किसी स्थान यथा, टाईपिस्ट, नॉटरी/बुक स्टॉल से प्राप्त किये गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगे।
2. भरे हुए आवेदन–पत्र अन्तिम तिथि 01.10.2018 को सायंकाल 6.00 बजे तक जिला रसद कार्यालय डूंगरपुर में जमा कराये जा सकते है। उक्त तिथि के पश्चात कोई आवेदन पत्र जमा नहीं किया जावेगा।

आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज :-

1. क्षेत्र का निवासी होने सम्बन्धी मूल निवास प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित
2. शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्रों की प्रतियां।
3. कम्प्यूटर दक्षता प्रमाण–पत्र की प्रति।
4. आयु संबंधी प्रमाण–पत्र की प्रति।
5. जाति प्रमाण–पत्र की प्रति।
6. दुकान का नक्शा (ब्लू प्रिन्ट) दो प्रतियों में।
7. तहसीलदार द्वारा जारी एक लाख रूपये का हैसियत प्रमाण पत्र।
8. कार्यशील शौचालय होने सम्बन्धी स्वघोषणा पत्र।
9. निर्धारित प्रारूप में स्वघोषणा पत्र।

Scanned by CamScanner

चयन प्रक्रिया एव प्राथमिकता :

दुकान आवंटन हेतु निम्नानुसार प्राथमिकताऐ निर्धारित है –

1. बेरोजगार

(I) निःशक्तजन (II) महिलायें (क) शहीद की विधवा (वीरांगना) (ख) विधवा (ग) परित्यक्ता

2. भूतपूर्व सैनिक

3. अन्य पात्र बेरोजगार

➢ आवंटन सलाहकार समिति के सदस्यों द्वारा किसी पात्र व्यक्ति का चयन बहुमत के आधार पर किया जायेगा जिसमें जिला कलक्टर का निर्णय अन्तिम होगा। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति मे जिला कलक्टर द्वारा राज्य सरकार को पत्रावली अग्रेषित की जावेगी। ऐसे प्रकरणों में राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

नोट :– चयनित उचित मूल्य दुकानदार की कार्य अवधि अधिकतम 60 वर्ष की आयु तक होगी।

उपरोक्त रिक्तियों के संबंध में विभागीय पत्र क्रमांक एफ 17 (1) खा.वि./विधि/08 जयपुर दिनांक 17.03.2016 द्वारा जारी उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के दिशा–निर्देशों में वर्णित चयन प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही की जानी है। दिनांक 17.03.2016 के दिशा–निर्देश तथा रिक्त एवं नवसृजित उचित मूल्य दुकानों के संबंध में विस्तृत जानकारी जिला रसद कार्यालय डूंगरपुर और जिले की वेबसाईट dungarpur.rajasthan.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।

जिला कलक्टर (रसद),
डूंगरपुर
दिनांक:– 17.9.2018

क्रमांक:–रसद/एफपीएस/2018/6590–6609

प्रतिलिपि :–

1. श्रीमान् अतिरिक्त खाद्य आयुक्त महोदय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर
2. श्रीमान् सम्भागीय आयुक्त महोदय, उदयपुर संभाग उदयपुर
3. उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर, सागवाडा, सीमलवाडा, आसपुर, बिछीवाडा
4. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी डूंगरपुर
5. तहसीलदार डूंगरपुर/सागवाडा/सीमलवाडा/आसपुर/बिछीवाडा/झौथरी चीखली/सावला/गलियाकोट
6. प्रवर्तन निरीक्षक समस्त ———————
7. रक्षित पत्रावली

जिला कलक्टर (रसद),
डूंगरपुर

Scanned by CamScanner